भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या † 2709
दिनांक 05.08.2025 को उत्तरार्थ

सशक्त पंचायत नेत्री अभियान

† 2709. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान के अंतर्गत अब तक आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार और जिलावार कितनी महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) की पहचान की गई है;
(ख) सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;
(ग) महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण हेतु योजना के अतंर्गत विकसित विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या "लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं से निपटने हेतु कानून पर प्राइमर" सभी पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को औपचारिक रूप से वितरित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इसकी विषय-वस्तु महिला प्रतिनिधियों द्वारा व्यापक रूप से समझी और कार्यान्वित की जाए और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान अभियान शुरू किया है। आंध्र प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त नामांकन के आधार पर 24 बीकन महिला पंचायत नेताओं को उनके द्वारा किए गए विभिन्न अनुकरणीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश सहित 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक बीकन महिला पंचायत नेत्री को नामांकित किया गया।

(ख) मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण करना और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनकी शासन क्षमताओं का विकास किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण सहित स्वीकृत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। उसी के साथ सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के लिए विकसित किये गए विशेष मॉड्यूल पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जोकि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। आरजीएसए के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान सशक्त पंचायत नेत्री अभियान हेतु प्रशिक्षण सहित राज्यों को क्षमता

निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए कुल स्वीकृत धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) के क्षमता निर्माण हेतु एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है ताकि सुशासन के प्रभावी कार्यान्वियन हेतु उनके नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल को और सुदृढ़ किया जा सके। प्रशिक्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर महिला निर्वाचित प्रतिनधि की क्षमता का निर्माण करना; निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावपूर्ण निर्वहन हेतु ज्ञान और कौशल को बढ़ाना एवं प्रभावी महिला-नेतृत्व के लिए संचार और निर्णय लेने के कौशल का विकास करना है।

(घ) जी हाँ। 4 मार्च 2025 को "सशक्त पंचायत नेतृ अभियान" के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा "लैंगिक-आधारित हिंसा एवं हानिकारक प्रथाओं से संबंधित कानूनों पर परिचय पुस्तिका" (Primer) का औपचारिक रूप से विमोचन किया गया। इसके पश्चात इस पुस्तिका को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया तथा सभी राज्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों (**SIPRDs**) एवं अन्य संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों को भेजा गया। इन सब कोशिशो का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों की विधिक जानकारी को सशक्त करने हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस सामग्री का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना है।

***

-

अनुलग्नक-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2709, जिसका उत्तर दिनांक 05/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित धनराशि (2025-26)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	**राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**स्वीकृत धनराशि**
1	आंध्र प्रदेश	58.49
2	अरुणाचल प्रदेश	12.875
3	असम	54.94
4	बिहार	98.22
5	छत्तीसगढ़	36.41
6	गोवा	-
7	गुजरात	49.26
8	हरियाणा	49.00
9	हिमाचल प्रदेश	14.21
10	जम्मू और कश्मीर	62.236
11	झारखंड	30.59
12	कर्नाटक	82.08
13	केरल	51.15
14	मध्य प्रदेश	*
15	महाराष्ट्र	80.72
16	मणिपुर	*
17	मेघालय	11.84
18	मिजोरम	16.89
19	नागालैंड	12.41
20	ओडिशा	61.497
21	पंजाब	94.10
22	राजस्थान	82.99
23	सिक्किम	10.23
24	तमिलनाडु	45.31
25	तेलंगाना	-
26	त्रिपुरा	22.06
27	उत्तर प्रदेश	105.44
28	उत्तराखंड	*
29	पश्चिम बंगाल	71.75
	संघ राज्य क्षेत्र	
1	अंडमान एवं निकोबार	*
2	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	*
4	लद्दाख	*
	कुल	**1214.698**

(-)वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन हेतु लंबित (*)सीईसी कार्यवृत्त का अनुमोदन लंबित

***